अपील रसद प्रकरण संख्या 03/2023 (GCMS 2023/82) अनवान् बलवन्त पुत्र श्री साहबराम जाति नायक उम्र 34 साल निवासी 9 क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

08.08.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नीरज सोनी एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :

अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान पोस मशीन संख्या 30842,ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत होने पर उस पर कार्यवाही करते हुए, उन्होनें अपने पत्र क्रमांक रसद /अभि./2022/ 5801 दिनांक 21.12.2022 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित किया जाकर नोटिस दिनांक 21.12.2022 जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी हस्तगत अपील पेश की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी व कौशल्या देवी डिपो पर राशन वितरण कर रहे थे तभी अचालन वहां नीतू पुत्री कालूराम नामक औरत डिपो में घुस गई और आते ही अपीलार्थी का गला पकड़कर अपीलार्थी को कहा कि मुझे एक गट्टा कनक का दे अन्यथा तेरा डिपो बंद करवा दूंगी। मै समाजसेवी हूँ, मुझे ऐसे ही गेहूं का कट्टा ... अपीलार्थी ने उसका विरोध किया तो उसने अपीलार्थी को ... उठा कर मारने गई, फिर लोगो ने बीच बचाव करके उसे बाहर निकाला तो उसने डिपो ... करवा दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा नीतू वगै. के खिलाफ पुलिस थाना मटीलीराठान, श्रीगंगानगर में एफआईआर संख्या 0008/2023 दर्ज करवाई गई, जिसमें अभी जांच चल रही है। मुकद्मा से बचने के लिए नीतू वगैरहा द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ये लोग अपीलार्थी को दबाव नाजायज तरीके से गेहूं की मांग करते है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा हमेशा नियमानुसार राशन का वितरण किया है, डिपू हमेशा समय पर खोलकर लोगों को राशन वितरण किया गया है। ऑनलाईन राशन वितरण होने के कारण किसी प्रकार की अनियमितता भी अपीलार्थी के द्वारा नहीं की गई है। दिनांक 18.12.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत 11 क्यू व उपसरपंच ग्राम पंचायत 11 क्यू व वार्ड पंच व अन्य ग्रामवासियों द्वारा भी प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अपीलार्थी के कार्य को सही बताया गया है तथा अपीलार्थी से ही राशन वितरण करवाने का निवेदन किया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा किसी प्रकार से जांच नहीं की गई और ना ही कोई निरीक्षण किया गया है केवल मात्र नीतू वगै. के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है तथा अपीलार्थी की पोश मशीन का चार्ज किसी अन्य डिपो होल्डर को दिया गया हैं जबकि अपीलार्थी की पोस मशीन 30842 के बारे में कोई जांच प्रत्यर्थी द्वारा नहीं की गई और ना ही किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी का आदेश बिल्कुल तथ्यों के विपरीत और बिना किसी जांच और

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पोस मशीन के माध्यम से किये गये वितरण के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं किये जाने के कारण न्याय के नैसर्गिक सिद्वांतो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है अपीलार्थी के द्वारा आदेश 1976 एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त की कोई उल्लंघना नहीं की गई है, इसलिए जिला रसद अधिकारी का आदेश पोषणीय नहीं है, अतः उसकी अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 1008/2018 बहाल किया जाकर अपीलार्थी की पोश मशीन 30842 का चार्ज दिलावने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 13.12.2022 को ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों 11 क्यू द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उचित मूल्य दुकानदार बलवंत राम साहबराम पीओएस 30842 के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई हैं। मौके पर महिला उपभोक्ता नीतू पुत्री श्री कालूराम राशन कार्ड संख्या 006441600233 द्वारा बताया गया कि उचित मूल्य दुकानदार बलवंत कुमार ने वक्त वितरण उपभोक्ता नीतू के साथ अभद्र व्यवहार किया व नीतू को थप्पड़ मारा व बद्तमीजी की उपस्थित ग्रामवासियों ने उक्त प्रकरण की सहमति प्रकट की। उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नियमित रूप से राशन वितरण नहीं किया जाता है तथा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। पूर्व मे भी उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें की गई हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार बलवंतराम साहबराम 11 क्यू श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्तों का उललंघन व **महिला उपभोक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने** के कारण उसका प्राधिकृत पत्र आगामी आदेश के लिए निलंबित किया गया है। अतः डीलर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज करके जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश 21.12.2022 को यथावत् रखने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **कि** अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान बलवंतराम साहबराम 11 क्यू श्रीगंगानगर पोस मशीन संख्या 30842 का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। नीतू पुत्री कालूराम जाति नायक निवासी 11 क्यू बख्ताना श्रीगंगानगर एवं उक्त उचित मूल्य दुकानदार मे झगड़ा होने एवं पूर्व में उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें किये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.12.2022 से प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार, बलवतंराम साहबराम ग्रा.प. 11 क्यू तहसील गंगागनर पोस 30842 का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक के लिए निलम्बित किया था।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र में निबंधन एवं शर्तें अंकित है, जो निम्नानुसार अवलोकनीय है:

1. कोई भी प्राधिकार धारक कलक्टर की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना इस प्राधिकार में विनिर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारकरण नहीं करेगा।
2. कोई भी प्राधिकार धारक कारोबार ... के दौरान उसे विधि मान्य अनुज्ञापत्र, मांगपत्र ... प्रस्तुत किये जाने पर अनुज्ञापत्र, मांगपत्र, राशनकार्ड पर खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक पदार्थों पर की बकाया सी... तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा जो राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा नियत की गयी है या किन्ही भी अन्य आवश्यक पदार्थों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या विनिर्मिति यथा स्थिति, द्वारा इस निमित्त नियत की जावे।
4. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के समरूप किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय के लिए स्टॉक का धारण राज्य सरकार या कलक्टर की अनुमति के सिवाय नहीं करेगा।
5. प्राधिकार पत्र धारक प्रारूप (सी) में एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की प्रतिदिन होने वाली प्राप्ति व विक्रय को सही–सही रूप में दिखाया जायेगा। अधिकृत थोक विक्रेता द्वारा प्रारूप (डी) में व प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार द्वारा प्रारूप (ई) में भी एक दैनिक विक्रय रजिस्टर रखा जायेगा। अनुज्ञप्तियों, वाउचर आदि लेखे संबंधी समस्त पुस्तकें प्राधिकार में विनिर्दिष्ट कारोबार स्थान पर रखी जायेंगी व आवश्यकता पडने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना होगा।
6. प्रत्येक प्राधिकार धारक प्रारूप (एफ) में स्टॉक व विक्रय की सही मासिक विवरणी कलक्टर को प्रतिमाह भेजेगा जो जिस माह से वह सम्बन्धित है उसके समाप्त होने के पश्चात पॉच दिन के भीतर उनके पास पहुंच जाये।
7. प्रत्येक प्राधिकार धारक अपने कारोबार संबंधी ऐसी कोई सूचना जो कलक्टर उससे मांगे सही [illegible] में प्रस्तुत करेगा।
8. प्राधिकार धारक खाद्यान्नों [illegible] व अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रारम्भिक स्टॉक, अधिशेष स्टॉक व कीमत अपने कारोबार परिसर के किसी सहज दृश्य स्थान पर मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

9. प्रत्येक प्राधिकार धारक कलक्टर द्वारा नियत कारोबार के घण्टों का कडाई से पालन करेगा व अपनी दुकान, स्थान या कारोबार को ऐसे घण्टों के दौरान ठीक समय पर व नियमित रूप से खोलेगा।

10. प्रत्येक प्राधिकार धारक खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं के विक्रय, भण्डारकरण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले किसी स्थान या परिसर में अपने धारक व लेखों के निरीक्षणार्थ युक्तियुक्त समय पर समस्त सुविधाएं मुहैया करायेगा।

11. प्राधिकार धारक राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा जो उसे प्रदाय के समस्त कमीशन, भंडारकरण संचालन, मूल्य धारियों यथा खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय भण्डारकरण आदि संबंधित मामलों के संबंध में दिये जाने वाले निर्देशों या अनुदेशों की पालना करेगा।

12. प्राधिकार पत्र धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेदार होगा व किसी अन्य घटिया किस्म के साथ अपमिश्रण नही करेगा।

13. प्राधिकार पत्र धारक को किसी वस्तु आदेश पर कतिपय परिमाण तक खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं का किया गया कोई आवंटन उसे यह अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि वह ऐसी मात्रा में ऐसे आवंटन को चालू रखने का दावा कर सके व कलक्टर को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से, बिना कोई कारण बताये कोई आवंटन रद्द कर सके या उसमें फेरफार कर सके तथा प्राधिकार पत्र धारक आवंटन रद्द करण या उसमें फेरफार के लिए किसी नुकसानी या प्रतिकर का दावा सरकार से करने का हकदार नहीं होगा।

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार के [illegible] विशेष शर्तें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

14. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार [illegible] समय पर प्रदाय किये गये खाद्यान्नों [illegible] आवश्यक वस्तुओं का विक्रय सीधे ही कलक्टर द्वारा जारी कि[illegible] अनुज्ञापत्र धारक व्यक्तियों को तथा केवल उन उपभोक्ताओं को करेगा जिनके राशनकार्ड उसकी दुकान पर यूनिट रजिस्टर के प्रारूप (जी) में दर्ज कर लिये गये हों।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

15. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार राशनकार्ड धारक द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा को ऐसी खरीद की तारीख के साथ राशनकार्ड में निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करेगा।

16. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार स्वयं के राशनकार्ड के अलावा किसी व्यक्ति का राशनकार्ड अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उस समय के सिवाय जबकि राशनकार्ड खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुविधापूर्वक वितरण के लिए किसी दिये गये समय पर दुकान पर वास्तव में उपस्थित व्यक्तियों से सम्यक रूप से एकत्रित किये जायें।

17. कोई भी उचित कीमत दुकानदारः—

क— किसी को भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड तैयार करने या प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा या

ख— किसी भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड का उपयोग नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा या

ग— अभिलेख में झूठी प्रविष्टियां करके कोई खाद्यान्न या आवश्यक वस्तुओं को नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त उल्लेखित निबंधन एवं शर्तो के अनुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होने के कारण एवं **उसका प्राधिकृत पत्र दिनांक 21.12.2022 को आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया था तथा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन** उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपरु के पत्रांक एफ17(45)खा.वि./न्याय/76 जयपुर दिनांक 22.11.2017 **के मुताबिक किसी प्राधिकार पत्र को 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए सस्पेड नहीं किया जा सकता है। इसलिए** उचित मूल्य दुकानदार बलवंत कुमार साहबराम का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.12.2022 को जारी आदेश अपास्त कर, उचित मूल्य दुकानदार बलवंत कुमार साहबराम पोस मशीन 30842 का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: Self Attested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। बलवंत कुमार साहबराम पोस मशीन 30842 का अनुज्ञा पत्र संख्या बहाल किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि उचित मूल्य दुकान का संचालन प्राधिकार पत्र में अंकित शर्तें की पालना करें एवं उपभोक्ताओं के साथ सौम्यता का व्यवहार रखें। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार बलवंतराम साहबराम पोस मशीन संख्या 30842 के विरूद्ध किसी अन्य अधिनियम के कोई प्रकरण विचाराधीन है तो सक्षम अथोरिटी/न्यायालय में उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के स्वतंत्र होगे। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested